

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 168/2022
निर्णय दिनांक : 20.03.2024

1. श्रीमती अंजना पत्नी श्री गोपाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
2. श्रीमती अर्चना पत्नी राधारमण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।
3. केदारलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
4. गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
5. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सुभाष चन्द्र पुत्र सीताराम जाति अग्रवाल निवासी 250 महावीर नगर टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमा व घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण ने वाद पत्र बाबत तकासमा व घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 19.05.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार नन्दकिशोर पुत्र नाथूलाल का वसीयत के आधार पर वादी संख्या 4 का नाम अंकित करते हुए उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड आउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा खाता पृथक-पृथक से कायम किया जाकर कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 09.06.2023 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भु0अ0/2024/डिक्री/1138 दिनांक 09.02.2024 के संलग्न कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील उभयपक्षकारान उपस्थित, बहस अंतिम सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। प्रतिवादीगण ने तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट में कोई आपत्ति पेश नहीं की। हमने बहस उपस्थित उभयपक्षकारान, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम वाटिका तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 1245 पुराना 26 के हाल खसरा नम्बर 4307 रकबा 0.08 है



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	4307	0.08	चाही	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 3/20 अर्चना पत्नी राधारमण हिस्सा 3/20 केदारमल पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 3/20 नन्द किशोर पुत्र नाथूलाल हिस्सा 3/20 राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 3/20 जाति- अग्रवाल नि0 जनता कॉलोनी जयपुर खातेदार सुभाष चन्द पु. सीताराम हिस्सा 1/4 अग्रवाल नि. 250 महावीर नगर टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर खातेदार
कुल कित्ता	1	0.09		

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज					
क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित ख.न.	प्रस्तावित रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाष चन्द पु. सीताराम हिस्सा पूर्व जाति अग्रवाल नि. 250 महावीर नगर टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर खातेदार	4307 मि.	0.02	चाही ए	0.86
	कुल कित्ता	1	0.02		0.86
2.	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 1/5 अर्चना पत्नी राधारमण हिस्सा 1/5 केदारमल पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 1/5 नन्द किशोर पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/5 राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/5 जाति- अग्रवाल नि0 जनता कॉलोनी जयपुर खातेदार	4307 मि.	0.06	चाही ए	2.58
	कुल कित्ता	1	0.06		2.58

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(ML)

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 168/2022

निर्णय दिनांक : 20.03.2024

1. श्रीमती अंजना पत्नी श्री गोपाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
2. श्रीमती अर्चना पत्नी राधारमण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।
3. केदारलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
4. गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
5. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।

वादीगण

बनाम


1. सुभाष चन्द्र पुत्र सीताराम जाति अग्रवाल निवासी 250 महावीर नगर टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमा व घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाके ग्राम वाटिका तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 1245 पुराना 26 के हाल खसरा नम्बर 4307 रकबा 0.08 हैक्टैयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	4307	0.08	चाही	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 3/20 अर्चना पत्नी राधारमण हिस्सा 3/20 केदारमल पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 3/20 नन्द किशोर पुत्र नाथूलाल हिस्सा 3/20 राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 3/20 जाति- अग्रवाल नि0 जनता कॉलोनी जयपुर खातेदार सुभाष चन्द पु. सीताराम हिस्सा 1/4 अग्रवाल नि. 250 महावीर नगर टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर खातेदार
कुल कित्ता	1	0.09		


 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज					
क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित ख.न.	प्रस्तावित रकबा	किस्म	लगान
1.	सुभाष चन्द पु. सीताराम हिस्सा पूर्व जाति अग्रवाल नि. 250 महावीर नगर टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर खातेदार	4307 मि.	0.02	चाही ए	0.86
	कुल कित्ता	1	0.02		0.86
2.	अंजना पत्नी गोपाल हिस्सा 1/5 अर्चना पत्नी राधारमण हिस्सा 1/5 केदारमल पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 1/5 नन्द किशोर पुत्र नाथूलाल हिस्सा 1/5 राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/5 जाति- अग्रवाल नि० जनता कॉलोनी जयपुर खातेदार	4307 मि.	0.06	चाही ए	2.58
	कुल कित्ता	1	0.06		2.58

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.03.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपस्थित अधिकारी
आहदा
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपस्थित अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)